भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 134

03.02.2025 को उत्तर के लिए

जलवायु संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रगति

134. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :
श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में उल्लिखित देश के जलवायु संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) कार्बन ट्रेडिंग नीति के क्रियान्वयन की स्थिति और कार्बन क्रेडिट के मूल्य निर्धारण का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अपने जलवायु संबंधी लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्यों, विशेषकर पेरिस समझौते के तहत संरेखित करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले सहयोगात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार सतत ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने और पर्यावरणीय क्षरण को कम करने के लिए किस प्रकार अन्य देशों के साथ सहयोग कर रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और इसके पेरिस करार के तहत वित्तीय वर्ष-वार संसूचित करने का प्रावधान नहीं किया गया है। भारत यूएनएफसीसीसी के तहत पेरिस करार के अनुसार वर्ष 2022 में प्रस्तुत अपने अद्यतित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (एनडीसी) में अंशदान करता है।

यूएनएफसीसीसी में दिनांक 30 दिसंबर, 2024 को प्रस्तुत किए गए भारत के चौथे द्विवार्षिक अद्यतन प्रतिवेदन (बीयूआर-4) के अनुसार, वर्ष 2005 और 2020 के बीच, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता, वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने के लिए नियत 45% के एनडीसी लक्ष्य की तुलना में 36% कम हो गई।

गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित स्रोतों के हिस्से से संबंधित एनडीसी के तहत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की स्थिति के संबंध में, भारत की कुल संस्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का हिस्सा, वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने के लिए नियत 50% के लक्ष्य की तुलना में दिसंबर 2024 में 47.10% है।

आधार वर्ष 2005 की तुलना में भारत ने अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से वर्ष 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन के नियत लक्ष्य की तुलना में 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार कर लिया है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने देश में कार्बन बाजार के विकास को सुकर बनाने के लिए वर्ष 2022 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) में संशोधन किया। तदनंतर उक्त अधिनियम के तहत, सरकार ने अधिसूचना का.आ. 2825 (अ), तारीख 28 जून, 2023 और संशोधन अधिसूचना का.आ. 5369 (अ), तारीख 19 दिसंबर, 2023 के द्वारा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) अधिसूचित की है।

सीसीटीएस में दो तंत्रों नामत: अनुपालन तंत्र और प्रतिसंतुलन तंत्र का प्रावधान किया गया है। अनुपालन तंत्र में, बाध्य इकाइयों के लिए सीसीटीएस के प्रत्येक अनुपालन चक्र में विनिर्दिष्ट जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता के न्यूनीकरण संबंधी मानदंडों का अनुपालन करना अपेक्षित है। अपनी जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता को विनिर्दिष्ट जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता से कम करने वाली कंपनियां, कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। प्रतिसंतुलन तंत्र में, अबाध्य इकाइयां कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए जीएचजी उत्सर्जन को कम करने या समाप्त करने या इसका परिहार करने के लिए अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत कर सकती हैं।

भारत सरकार ने ऊर्जा की अधिक खपत वाले क्षेत्रों और नामोद्दिष्ट उपभोक्ताओं (डीसी) को निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) स्कीम से सीसीटीएस के तहत अनुपालन तंत्र में सुचारू रीति से परिवर्तित होने के लिए एक स्कीम भी तैयार की है। इस योजना में लक्ष्यों के दोहराव से बचते हुए राष्ट्रीय जलवायु संबंधी लक्ष्यों की निरंतरता, संगतता और अनुरूपता सुनिश्चित की गई है। इस परिवर्तन को आरंभ करने के लिए, सरकार ने सीसीटीएस के अनुपालन तंत्र के तहत शामिल किए जाने के लिए ऊर्जा की अधिक खपत वाले नौ क्षेत्रों नामत: एल्यूमीनियम, सीमेंट, इस्पात, कागज, क्लोर-अल्कली, उर्वरक, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल और कपड़ा क्षेत्रों को अभिज्ञात किया है। प्रतिसंतुलन तंत्र के तहत, ऊर्जा, उद्योग, अपशिष्ट हथालन और निपटान, कृषि, वानिकी, परिवहन, निर्माण, अस्थाई उत्सर्जन, विलायक उपयोग और कार्बन नियंत्रित उपयोग और भंडारण सहित दस क्षेत्रों को अनुमोदित किया गया है।

सरकार ने राजपत्र अधिसूचना, तारीख 30 मई, 2022 के द्वारा 'पेरिस करार के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नामोद्दिष्ट प्राधिकरण (एनडीएआइएपीए)' को भी अधिसूचित किया है। उक्त प्राधिकरण ने पेरिस करार के अनुच्छेद 6.2 और अनुच्छेद 6.4 के तहत द्विपक्षीय/सहकारी दृष्टिकोणों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए पात्र ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उपशमन कार्यकलापों, वैकल्पिक सामग्रियों और समापन संबंधी कार्यकलापों के अंतर्गत 14 कार्यकलापों की सूची को अद्यतित और अंतिम रूप दिया है।

(घ) सरकार सहमति ज्ञापनों, आशय पत्रों, संयुक्त आशय घोषणाओं, ऊर्जा संबंधी वार्ताओं और साझेदारियों जैसे तंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग करती है और पर्यावरण अवक्रमण को कम कर रही है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए) ने दिनांक 01 मार्च, 2024 को नैरोबी, केन्या में हुए अपने छठे सत्र में संधारणीय जीवन-शैलियों संबंधी संकल्प को सर्वसम्मति से अंगीकृत किया। मिशन लाइफ के निर्देशों पर आधारित इस संकल्प को भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा श्रीलंका और बोलीविया द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था और यह, मिशन लाइफ या पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली (लाइफ) की अवधारणा के वैश्वीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत ने दिनांक 17 अगस्त, 2024 को "संधारणीय भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण" के व्यापक विषय के साथ 'वैश्विक दक्षिण शिखर-सम्मेलन की तीसरी वाइस' की मेजबानी की। पर्यावरण मंत्रियों के सत्र में, वैश्विक दक्षिण के 18 देशों और 1 बैंक ने भाग लिया। भारत ने संधारणीय उपभोग और उत्पादन पैटर्न को प्रोत्साहित करने, संधारणीय जीवनशैलियों को बढ़ावा देने, अपशिष्ट कम करने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनके सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया। इन विचार-विमर्शों में जलवायु न्याय तथा जलवायु संबंधी वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के लिए विकासशील देशों की मांग पर जोर दिया गया।

वर्तमान में, भारत के नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा पारीय अंतर-संबंध हैं। भारत और भूटान के बीच जल-विद्युत के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में एक करार पर दिनांक 28 जुलाई, 2006 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और नेपाल ने दिनांक 04.01.2024 को एक करार पर हस्ताक्षर किए, जिससे अगले 10 वर्षों में नेपाल से भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात सुकर होगा।

*****